बिहार सरकार

समाहरणालय, अररिया

(उत्पाद प्रशाखा)

दूरभाष सं0 :06453–222001(का0)
06453–222102 (आ0)
फैक्स सं0 :06453–222124
E- mail :dmararia.bih@nic.in

पत्रांक...................../उ0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
अररिया ।

सेवा में,

निदेशक ,
सूचना एवं जन सर्म्पक विभाग
बिहार, पटना ।

अररिया , दिनांक ....

विषय :- बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत अधिहरित वाहनों की नीलामी में भाग लेने हेतु आम सूचना के प्रकाशन के संबंध में ।

महाशय ,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत अधिहरित वाहनों की सार्वजनिक रूप से खुली नीलामी में भाग लेने हेतु आम सूचना की प्रति (हार्ड कॉपी तीन प्रति में एवं साफ्ट कॉपी सी0डी0 में) इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

अनुरोध है कि इसे सभी दैनिक समाचार पत्रों अथवा कम-से-कम तीन प्रमुख समाचार पत्रो के सभी संस्करणों में प्रकाशित करने की कृपा की जाए ।

अनुलग्नक- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक ...697.../उ0 दिनांक 01/12/17

प्रतिलिपि :- आई.टी0 मैनेजर, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेशित किया जाता है कि इसे जिला के वेबसाईट पर प्रमुखता से लाल रंग के हेडिंग में इस प्रकार से प्रदर्शित करेगें कि ये आसानी से दृष्टिगत हो सके।

प्रतिलिपि :- सभी प्रंखड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेशित किया जाता है कि इस आम सूचना का अपने कार्यालय में संधारित नोटिस बोड पर भी प्रकाशित कराएगे ।

प्रतिलिपि :- सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 1/12/17
जिला पदाधिकारी,
अररिया

समाहरणालय, अररिया

(बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत अधिहरित वाहन की सार्वजनिक नीलामी)

-: वाहन नीलामी हेतु आम सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य पूर्ण शराब बंदी के उपरान्त शराब को ढोने में प्रयुक्त वाहन को समाहर्त्ता सह जिला दण्डाधिकारी, अररिया के द्वारा अधिनियम में विहित प्रावधानों के अधीन अधिहरित किया गया है, जिसे सार्वजनिक निलामी द्वारा ब्रिकी किया जाना राजहित में आवश्यक है । तद् आलोक में निम्नलिखित वाहन/वाहनों की निलामी " जहां है, जैसा है, उसी स्वरूप में " के आधार पर अधोहस्ताक्षरी/प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 16.12.2017 (शनिवार) को पूर्वाह्न 11 बजे डी0आर0डी0ए0 सभा भवन अररिया में की जायेगी । उक्त तिथि को किसी कारणवश निलामी नहीं होने की स्थिति में पुनः निलामी दिनांक 18.12.2017 (सोमवार) को किया जायेगा ।

निलामी हेतु वाहन का विवरण :-

क0सं0	राजसात वाहन का निबंधन संख्या	समाहर्त्ता न्यायालय के वाद संख्या	राजसात वाहन का प्रकार	राजसात वाहन का न्यूतम निर्धारित मूल्य	वाहन भंडारण स्थल	अग्रधन की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	CH-62827	05/2016-17	मोटरसाईकिल	4000.00	उत्पाद मालखाना अररिया	800.00
2	BR38B/3982	07/2016-17	मोटरसाईकिल	7000.00	उत्पाद मालखाना अररिया	1400.00
3	CH-770003	01/2016-17	मोटरसाईकिल	19000.00	उत्पाद मालखाना अररिया	3800.00
4	BR-38E/8175	03/2016-17	मोटरसाईकिल	8000.00	उत्पाद मालखाना अररिया	1600.00
5	BR-38H/0502	04/2016-17	मोटरसाईकिल	9000.00	कुर्साकांटा (सोनामनी गोदाम) थाना	1800.00
6	APACHE	04/2016-17	मोटरसाईकिल	40000.00	कुर्साकांटा (सोनामनी गोदाम) थाना	8000.00
7	BR38/2554	09/2016-17	मोटरसाईकिल	5000.00	सिकटी थाना	1000.00
8	BR11N/8208	14/2016-17	मोटरसाईकिल	7000.00	सिकटी थाना	1400.00
9	BR38D/0306	17/2016-17	मोटरसाईकिल	7500.00	सिकटी थाना	1500.00
10	BR38D/2507	18/2016-17	मोटरसाईकिल	5500.00	सिकटी थाना	1100.00
11	BR11X/6791	06/2016-17	मोटरसाईकिल	17000.00	उत्पाद मालखाना अररिया	3400.00
12	BR11Q/5412	08/2016-17	मोटरसाईकिल	8000.00	सिकटी थाना	1600.00
13	BR37B/3507	12/2016-17	मोटरसाईकिल	6000.00	सिकटी थाना	1200.00
14	BR1T/5572	24/2016-17	टेम्पू	50000.00	उत्पाद मालखाना अररिया	10000.00
15	BR38H/3960	22/2016-17	मोटरसाईकिल	18000.00	उत्पाद मालखाना अररिया	3600.00
16	BR37J/3513	15/2016-17	मोटरसाईकिल	8000.00	सिकटी थाना	1600.00
17	BR38/7102	16/2016-17	मोटरसाईकिल	5000.00	सिकटी थाना	1000.00
18	BR39F/3545	25/2016-17	मोटरसाईकिल	6000.00	उत्पाद मालखाना अररिया	1200.00
19	BR38J/7884	31/2016-17	कार	300000.00	अररिया थाना	60000.00
20	HR38T/8350	31/2016-17	ट्रक	620000.00	अररिया थाना	124000.00
21	BR38J/5610	48/2016-17	मोटरसाईकिल	7500.00	कुर्साकांटा (सोनामनी गोदाम) थाना	1500.00
22	CH-07923	35/2016-17	मोटरसाईकिल	6000.00	उत्पाद मालखाना अररिया	1200.00

निलामी हेतु नियम एवं शर्त्ते :-

1. इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर निलामी में भाग ले सकते हैं ।
2. उपरोक्त विवरणी के स्तंभ 5 में अंकित राशि को वाहन का सुरक्षित मूल्य माना गया है ।. सुरक्षित मूल्य से कम की बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी ।
3. वाहनों की निलामी की प्रकिया बारी-बारी से होगी, अर्थात 01 वाहन की प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त हीं दूसरे वाहन की निलामी की जायेगी ।
4. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अनुलग्नक "ए" में अंकित घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा ।
5. निलामी में भाग लेने हेतु वाहन के सूरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में जमा करने के पश्चात् हीं निलामी में भाग ले सकते हैं ।

   अनुलग्नक "ए" में भरा हुआ घोषण पत्र एवं अग्रधन जमा करने की अंतिम तिथि, 14.12.2017 को कार्यालय अवधि समाप्ति होगी, जिसे अधीक्षक उत्पाद, कार्यालय अररिया में जमा किया जायेगा । एक से अधिक वाहन के लिए बोली लगाने की स्थिति में प्रति वाहन अलग-अलग अग्रधन जमा करना होगा । अग्रधन बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के रूप जिला पदाधिकारी अररिया के नाम से जमा करना होगा जिसे निलामी की प्रकिया समाप्त होने पर वापस कर दिया जायेगा ।
6. निलामी की प्रकिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. निलामी के दौरान उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को उसी समय बोली की राशि एक हीं किस्त में जमा करनी होगी । इसमें विफल होने पर अगले उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को सफल माना जायेगा ।
8. उच्चतम बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति द्वारा राशि एक मुस्त जमा करने में विफल होने की स्थिति में उनके अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी । इसके निर्णय हेतु निलामी कर्त्ता का निर्णय अंतिम होगा ।
9. यह माना जायेगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा निलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर लिया गया है । वाहन सौंप देने के उपरान्त निलामीकर्त्ता वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।
10. निलामी की प्रकिया में समाहरणालय अथवा इस से संलग्न कार्यालय/इसके अधिन किसी भी कार्यालय के सरकारी कर्मी/पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय अथवा इस से संलग्न थाना/ कार्यालय के कर्मी/ पदाधिकारी एवं सरकारी कर्मी भाग नहीं लेगें ।
11. सफल बोली दाता को अपने प्रयोजन के लिए वाहन प्राप्त कर लेने पर नियमों के अनुसार अपनी लागत और जिम्मेदारी पर अपने नाम पर वाहन को स्थानांतरित कराना होगा । निलामी कर्त्ता वाहनों के पंजीकरण के लिए किसी भी तरह से संबंधित या जिम्मेदार नहीं होगा, और सफल व्यक्ति को वाहन सौपने के उपरान्त इसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
12. अपने विवेक से बिना कारण बताये किसी भी समय निलामी कि प्रकिया रोकने/ किसी वाहन अथवा सम्पूर्ण वाहन की बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय निलामी कर्त्ता सुरक्षित रखता है, तथा यह निर्णय अंतिम होगा ।
13. इसकी विस्तृत घोषणा पत्र प्रपत्र जानकारी जिला के वेबसाईड araria.bih.nic.in पर देखा जा सकता है । कार्य दिवस में वाहन के अवलोकन वाहन भंडारण स्थल के संबंध में अथवा निलामी से संबंधित अन्य जानकारी हेतु उत्पाद अधीक्षक अररिया (मो0 न0 9473400622) से सम्पर्क किया जा सकता है।

20/11/2017

समाहर्त्ता सह-जिला दण्डाधिकारी,
अररिया